

M.P. JUDICIAL SERVICE (CIVIL JUDGE) MAIN EXAMINATION -2019

अनुक्रमांक/Roll No.

--	--	--	--

Total No. of Questions : 12

कुल प्रश्नों की संख्या : 12

No. of Printed Pages : 4

मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 4

LOCAL LAWS, CRIMINAL LAWS & PROCEDURE

स्थानीय विधि, अपराध विधि एवं प्रक्रिया

Third Question Paper

तृतीय प्रश्न-पत्र

समय – 3:00 घण्टे

Time Allowed – 3:00 Hours

पूर्णांक – 100

Maximum Marks – 100

निर्देश :-

Instructions :-

1. All questions are compulsory. Answer to all Questions must be given in one language either in Hindi or in English. In case of any ambiguity between English and Hindi version of the question, the English version shall prevail.
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं। यदि किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ के बीच कोई संदिग्धता है, तो अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।
2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any Number or any mark of identification in any form in any place of the Answer Book not provided for, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.
उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषेध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।
3. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be done.
सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर-पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्ता/मूल्यांकनकर्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

Q.No.
/ प्र.क्र.

Question / प्रश्न

Marks
/ अंक

M.P. ACCOMMODATION CONTROL ACT, 1961

म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961

1. What is denial of the landlord's title or disclaimer of tenancy ? What impact it has on the tenant's liability for eviction under the Act ? 8

भवन-स्वामी के स्वामित्व से इंकार या किरायेदारी से इंकार करना क्या होता है ? अधिनियम के अन्तर्गत किरायेदार के निष्कासन के संबंध में इसका क्या प्रभाव होता है ?

2. What is composite tenancy ? Describe the legal necessities for a decree of eviction on the ground of bonafide need for non-residential purpose only where the tenancy was created for composite purpose. 8

समष्टि (संयुक्त) किरायेदारी क्या है ? केवल गैर-निवासीय प्रयोजन के लिये सद्भावी आवश्यकता के आधार पर समष्टि प्रयोजन से किराये पर दिये गये स्थान से, निष्कासन की डिक्री के लिये, विधिक आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए।

M.P. LAND REVENUE CODE, 1959

म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959

3. Describe the procedure of partition of holding. How does it differ from disposal of holdings ? 8

खाते के विभाजन की प्रक्रिया समझाइये । यह खातों के निपटारा से किस प्रकार भिन्न है ?

4. Under what circumstances a Bhumiswami can lease the whole of his holding consecutively for more than 1 year and when such lessee may be ejected ? 8

किन परिस्थितियों में एक भूमिस्वामी उसके सम्पूर्ण खाते की भूमि को लगातार एक वर्ष से अधिक के लिये पट्टे पर दे सकता है और ऐसे पट्टेदार को कब बेदखल किया जा सकेगा ?

INDIAN EVIDENCE ACT, 1872
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

5. "Oral evidence is excluded by documentary evidence." 8
Explain this rule and state the exceptions, if any, to this rule.
"मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा होता है।" इस नियम को समझाइये तथा इस नियम के अपवादों, यदि कोई हों, को बताइये ?
6. How can a party impeach the credit of witness in following 8
circumstances ?
(i) His own witness and
(ii) A witness produced by the opposite party.
साक्षियों की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप निम्न परिस्थितियों में कैसे किया जा सकता है ?
(1) पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से, और
(2) प्रतिपक्षी द्वारा प्रस्तुत साक्षी से ।

INDIAN PENAL CODE, 1860
भारतीय दण्ड संहिता, 1860

7. What is an "Unlawful Assembly" ? Who is said to be the 8
member of an unlawful assembly ? When is a member of an
unlawful assembly constructively liable for the offence
committed by any other member of that assembly ? Can less
than five persons be convicted with the aid of Sec. 149 ?
विधि विरुद्ध जमाव क्या है ? विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य किसे कहा जायेगा ? एक विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य उस जमाव के किसी अन्य सदस्यों द्वारा किये गये अपराध के लिए कब आन्वयिक रूप से दायी होगा ? क्या पाँच से कम व्यक्तियों को धारा 149 की सहायता से दोषसिद्ध किया जा सकता है ?
8. Describe any two and distinguish between the following :- 8
(1) Cheating & Criminal breach of trust.
(2) Abetment & Criminal conspiracy.
(3) Giving false evidence and fabricating false evidence.
निम्नलिखित में से किन्हीं दो को समझाते हुए उनमें विभेद कीजिए :-
(1) छल एवं आपराधिक न्यास भंग ।
(2) दुष्प्रेरण एवं आपराधिक षड्यंत्र ।
(3) मिथ्या साक्ष्य देना एवं मिथ्या साक्ष्य गढ़ना ।

CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

9. Explain the circumstances in which release on bail is mandatory ? 8
 उन परिस्थितियों को समझाइये जिनमें जमानत पर उन्मुक्त करना आज्ञापक है ?
10. What is First Information Report ? Discuss its evidentiary value ? What is the difference between FIR and the complaint ? 8
 प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या है ? इसके साक्ष्यिक महत्व का वर्णन कीजिए ? प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं परिवाद में क्या अंतर है ?

NEGOTIABLE INSTRUMENTS ACT, 1881

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881

11. Explain the liability of the persons in case of dishonour of cheque issued by company. 8
 कंपनी द्वारा जारी किए गए चैक अनादर होने की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्तियों के दायित्व को समझाइये ।

MIXED

मिश्रित

12. Write Short-notes on / संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये :-
- (A) When does the right of private defence of the property extend to causing of death ? 4
 (अ) संपत्ति के निजी बचाव का अधिकार कब मृत्युकारित करने तक विस्तारित होता है ?
- (B) Government lessee 4
 (ब) सरकारी पट्टेदार
- (C) Modes of proving a signature. 4
 (स) हस्ताक्षर को सिद्ध करने के ढंग ।
